कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली स्थित कैराना।

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 09.12.2023 को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री अनिल कुमार-XIII जी के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जिला एवं सत्र न्यायालय, शामली स्थित कैराना परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बैंक पदाधिकारीगण व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायालय शामली द्वारा 05 मामलें, प्रधान न्यायाधीश-पारिवार न्यायालय द्वारा 22 मामलें, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय द्वारा 02 मामलें, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) न्यायालय द्वारा 207 मामले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा 175 मामलें, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय-कैराना द्वारा 17 मामले, सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम.-शामली न्यायालय द्वारा 11 मामलें, सिविल जज (सी.डि./ए.सी.जे.एम. कैराना द्वारा 176 मामले, सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट- शामली न्यायालय द्वारा 486 मामलें व न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली न्यायालय द्वारा 474 मामलें का निस्तारण किया गया। इस प्रकार जनपद शामली स्थित समस्त न्यायालयों के द्वारा कुल 1489 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल सैटलमेन्ट धनराशि 1282662/- रूपये वसूल किये गये। राजस्व न्यायालयों के द्वारा कुल 7351 मामलें का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। बैंक से सम्बन्धित 242 प्री-लिटीगेशन वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 36393000/- रूपये की धनराशि का सैटलमेन्ट किया गया।

इस प्रकार माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-शामली श्री अनिल कुमार-XIII जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न करते हुए **राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 9082 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 37675662/-** रूपये की धनराशि का सैटलमेन्ट किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कुशल मार्गदर्शन में 1389 ई-चालान का भी निस्तारण किया गया, जिसमें कुल धनराशि 127300/-रूपये का सैटलमेन्ट किया गया। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-शामली द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी का आभार व्यक्त किया गया।

(प्रतिभा)
प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
शामली।

दिनांकः- 09.12.2023